वंदेमातरम् न गाना अपराध नहीं : सुको

टीएम कृष्णा की याचिका पर अहम टिप्पणी, 1986 के बिजो इमैनुएल फैसले का संदर्भ

अनिवार्यता और सजा पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 22 सितंबर. वंदे मातरम के गायन को लेकर चल रहे संवैधानिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि धार्मिक आधार पर राष्ट्रीय गीत नहीं गाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का सवाल अदालत जांचेगी.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे. पीठ ने गायक टीएम कृष्णा की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा.

याचिका में 2026 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में किए गए संशोधन तथा गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों को चुनौती दी गई है. संशोधित प्रावधान के तहत राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने अथवा ऐसा करने वाली सभा में व्यवधान पैदा करने पर अधिकतम तीन वर्ष के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. यह संशोधन वंदे मातरम को भी संबंधित दंडात्मक प्रावधान के दायरे में लाता है. टीएम कृष्णा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने दलील दी कि गीत के अंतिम चार अंतरों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों के संदर्भ आते हैं. उनका तर्क है कि इन अंशों को अनिवार्य रूप से गाने की बाध्यता धार्मिक स्वतंत्रता और

अंतरात्मा की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न उठाती है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एस. मुरलीधर के बीच 'नक्सली' शब्द के इस्तेमाल को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई. मुरलीधर ने टिप्पणी वापस लेने की मांग की, जबकि मेहता ने उसे वापस लेने से इनकार किया. इसके बाद न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने संवैधानिक संस्थाओं और अधिकारों के संदर्भ में हस्तक्षेप किया. अगली प्रक्रिया में केंद्र का जवाब मिलने के बाद अदालत यह देखेगी कि संशोधित दंड व्यवस्था धार्मिक या अंतरात्मा संबंधी आपत्ति रखने वाले व्यक्ति पर किस सीमा तक लागू हो सकती है.

> **इमैनुएल बनाम सरकार का फैसला महत्वपूर्ण**
>
> याचिका में यह भी कहा गया है कि दंडात्मक कानून में 'राष्ट्रीय गीत' की स्पष्ट परिभाषा का अभाव भ्रम पैदा कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर यह तय करने से इनकार किया कि वंदे मातरम के आधिकारिक गायन में दो अंतरे होंगे या छह. पीठ ने कहा कि उसका मुख्य परीक्षण इस बात पर रहेगा कि धार्मिक या अंतरात्मा संबंधी आपत्ति रखने वाले व्यक्ति को गीत नहीं गाने पर आपराधिक परिणाम भुगतना पड़ेगा या नहीं. इस संदर्भ में 1986 के बिजो इमैनुएल बनाम केरल सरकार फैसले को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाने वाले छात्रों के पक्ष में फैसला दिया गया था, जबकि वे सम्मानपूर्वक खड़े रहे थे.

जालंधर से दिल्ली तक ईडी के ताबड़तोड़ छापे

जीएमडीए स्कैम मामले में हो रही रेड

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 22 सितंबर. प्रवर्तन निदेशालय ने जीएमएडीए में बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच में दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और लुधियाना में छापेमारी की है. छापे जीएमएडीए कार्यालय और आवास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग के कार्यालय में भी मारे गए.

पंजाब के मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यालय में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापेमारी की. सूत्रों के अनुसार, जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली से पहुंची ईडी की टीमें तीन वाहनों में कार्यालय पहुंचीं और जांच शुरू की. अधिकारियों ने मामले से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की पड़ताल की. छापे मुख्य रूप से जीएमएडीए कार्यालय और पंजाब आवास विभाग के प्रमुख सचिव आईएएस विकास गर्ग के कार्यालय में मारे गए. सूत्रों के मुताबिक, जांच टीमों ने दफ्तरों में दस्तावेज खंगाला और कंप्यूटर रिकॉर्ड को भी देखा. कुछ अधिकारियों के फोन भी जांच के लिए लिए लिए गए हैं.

पूर्व मुख्य सचिव अनुराग वर्मा 9 सितंबर को ईडी के जालंधर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश हुए थे. उनसे आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी. उस समय वह आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख थे. ईडी ने 10 सितंबर को मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी समन जारी कर मामले से संबंधित अभिलेख और जांच की जानकारी मांगी थी.

> यह कार्रवाई जीएमएडीए में लगभग 150 करोड़ रुपये के भू-उपयोग परिवर्तन घोटाले और शुल्क में अनियमितता से जुड़े मामले की जांच के तहत की जा रही है. जांच में सनटेक सिटी (न्यू चंडीगढ़) सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं. इससे पहले ईडी इस मामले में दो भवन निर्माताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है. मामले में आईएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ से 18 और 27 अगस्त को पूछताछ की गई थी. 18 अगस्त को उनसे करीब आठ से नौ घंटे तक पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई थी. बराड़ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की पूर्व निदेशक रह चुकी हैं.

आज से दुनियाभर में बंद होंगी ईरान की फ्लाइट्स

मदद करने वाले देशों को भी नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका ने दी धमकी

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

वाशिंगटन, 22 सितंबर. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह से ईरानी एयरलाइंस का अंतरराष्ट्रीय संचालन पूरी तरह ठप हो सकता है.

वाशिंगटन ने विदेशी कंपनियों को आगाह किया है कि यदि उन्होंने ईरानी विमानन कंपनियों को सेवाएं देना जारी रखा, तो उन पर कड़े सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. बेसेन्ट ने कहा कि दुनिया भर में सभी ईरानी एयरलाइंस का संचालन बंद कर दिया जाएगा. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष लगभग सात महीने पूरे करने जा रहा है. अमेरिकी प्रशासन की धमकी केवल विमानन कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में उनके संचालन में मदद करने वाले हवाई अड्डों, टिकटिंग एजेंसियों, ईंधन आपूर्तिकर्ताओं और ग्राउंड हैंडलिंग फर्मों को भी सीधे तौर पर निशाना बनाती है. बेसेन्ट ने कहा कि हम यह कैसे करेंगे. यदि वे विमान लैंड करते हैं, तो आप उन्हें ईंधन नहीं दे सकते, लैंडिंग सेवाएं नहीं दे सकते और उनके टिकट नहीं बेच सकते अन्यथा आपको अंतरराष्ट्रीय डॉलर प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने

कहा कि 23 सितंबर तक ईरानी एयरलाइंस को प्रभावी रूप से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से पूरी तरह बाहर किया जा सकता है. यह कदम राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के आर्थिक दबाव अभियान और बेसेन्ट की उस इकोनॉमिक डी-डे चेतावनी का हिस्सा है, जिसके तहत तेहरान की वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह पंगु बनाने का संकल्प लिया गया है. उल्लेखनीय है कि ईरान का विमानन क्षेत्र पहले से ही दशकों पुराने प्रतिबंधों के चलते विमानों की खरीद, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव सेवाओं की भारी किल्लत से जूझ रहा है.

कई देशों ने शुरू की ईरानी उड़ानों पर रोक

ईरान ने अभी तक इस ताजा आर्थिक चेतावनी पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कई देशों ने अमेरिकी रुख को देखते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. दो इराकी सूत्रों ने पुष्टि की है कि बगदाद ईरानी एयरलाइंस की उड़ानों को निलंबित करेगा. इसके अतिरिक्त, जॉर्जिया ने भी ईरानी विमानों के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है, जबकि ईरान की महान एयर ने बताया कि उसने तुर्की सरकार के अनुरोध के बाद तुर्की के लिए अपनी सेवाएं रोक दी हैं.

सीएनएन विवाद : व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया ट्रंप टीवी, कोर्ट पहुंचा केस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देश के प्रमुख समाचार संस्थानों के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. सीएनएन एमएस नाउ और पोलीटीको ने व्हाइट हाउस से अपने पत्रकारों की पहुंच रोके जाने के फैसले को संघीय अदालत में चुनौती दी है. मुकदमा दायर होने के कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस ने ट्रम्प टीवी : द एसेंशियल्स स्टेशन नाम से 24/7 डिजिटल वीडियो स्ट्रीम शुरू की. इसका उद्देश्य राष्ट्रपति और सरकार से जुड़ी प्रमुख घोषणाओं, भाषणों तथा महत्वपूर्ण वीडियो को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है. सामग्री को वास्तविक समय में अपडेट किए जाने की बात भी कही गई है. यह घटनाक्रम तब सामने आया जब ट्रंप प्रशासन ने सीएनएन, एमएस नाउ और पॉलिटिको के पत्रकारों की व्हाइट हाउस पहुंच रोक दी. संस्थानों का कहना है कि उनके प्रेस क्रेडेंशियल बिना पर्याप्त सूचना और प्रक्रिया के वापस लिए गए. उन्होंने अदालत से प्रतिबंध हटाने और पत्रकारों की पहुंच बहाल करने की मांग की है.

दिल्ली के बाद केरलम् में एबीवीपी का परचम

40 साल बाद छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

त्रिवेंद्रम, 22 सितंबर. केरलम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वामपंथियों के गढ़ में सेंध लगाई है. एबीवीपी ने कॉलेज यूनियन चुनावों में सभी सीटें जीतकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से त्रिपुनिथुरा गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज यूनियन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है.

इस नतीजे के साथ ही केरलम में एसएफआई के गढ़ों में से एक माने जाने वाले इस कॉलेज में

उसका बरसों से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया है. एसएफआई कई सालों से कॉलेज यूनियन चला रही थी लेकिन इस बार एबीवीपी ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और सभी छह मुख्य पदों पर कब्जा जमा लिया.

यह जीत इलाके में हुए एक और राजनीतिक बदलाव के ठीक बाद मिली है. हाल ही में बीजेपी ने त्रिपुनिथुरा नगरपालिका की कमान संभाली है, जिससे स्थानीय निकाय में वामपंथी दलों का 45 साल पुराना शासन खत्म हो गया है. एबीवीपी ने अब कैंपस के एक कॉलेज में बड़ी कामयाबी हासिल की है जो चार दशकों से ज्यादा समय तक वामपंथियों के कंट्रोल में रहा था.

एबीवीपी ने इस नतीजे को एसएफआई की छात्र-विरोधी नीतियों को नकारने जैसा बताया. संगठन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि इस कॉलेज में मिली जीत से केरल के कैंपस में मौजूद एबीवीपी की दूसरी यूनिट्स को भी काफी बढ़ावा मिलेगा.

भारत को मिले यूएन में स्थायी जगह

यूएन सुरक्षा परिषद में चार देशों ने खुलकर किया समर्थन

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 22 सितंबर. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी में सोमवार को यूरोप के चार देशों का खुला समर्थन मिला.

पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेकिया ने भारत को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय में स्थायी स्थान दिए जाने की वकालत की. स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के हिस्से के रूप में भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की उभरती शक्ति को सुरक्षा परिषद की मेज पर स्थायी सदस्य के तौर पर होना चाहिए. यह बयान न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पहली उच्चस्तरीय विसेग्राद समूह प्लस भारत बैठक के बाद आया. इसमें पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेकिया शामिल हैं. स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ब्लानार ने कहा कि 4 देशों के तौर पर वे सभी इस बात से सहमत हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में स्थान मिलना चाहिए.

जमुई कांड के 2 आरोपियों का एनकाउंटर

गोली लगने से नंदन घायल, हरेराम का टूटा पैर, अस्पताल में भर्ती

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

जमुई, 22 सितंबर. बिहार के जमुई जिले में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के एनकाउंटर की सूचना है.

पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने और दूसरे आरोपी का पैर टूटने की जानकारी सामने आ रही है. मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया है. बीते दिनों हुई छेड़खानी की घटना का वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा और आक्रामक

अभियान छेड़ा है. आरोपितों की धरपकड़ के लिए जिले के विभिन्न संभावित ठिकानों पर चलाए गए सघन छापामारी की गई. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच कथित तौर पर एनकाउंटर की सूचना सामने आई है.इस दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे का पैर टूट गया है. पुलिस टीम जब दबिश दे रही थी, तभी अपराधियों से आमना-सामना हो गया.

महाराष्ट्र यूसीसी कमेटी में आई दरार!

रिटायर्ड जज आरसी चव्हाण ने दिया इस्तीफा

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई, 22 सितंबर. महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित सात सदस्यीय समिति में अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण ने समिति की दूसरी बैठक के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने त्यागपत्र में मुख्य रूप से जनता से फीडबैक लेने की प्रक्रिया और समिति की बैठक में एक गैर-सदस्य व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई. राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. समिति की ऑनलाइन बैठक 19 सितंबर को हुई थी. इसके कुछ

घंटे बाद ही जज चव्हाण ने राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र भेज दिया. उनके इस्तीफे में दो प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिनके चलते उन्होंने समिति से अलग होने का फैसला किया. पहला मुद्दा आम लोगों से राय लेने के तरीके से जुड़ा है. बैठक में फीडबैक के लिए तैयार प्रश्नों पर चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया कि लोगों को केवल हां या ना में जवाब देने का विकल्प दिया जाए. इसका उद्देश्य प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण आसान बनाना बताया गया. हालांकि, चव्हाण ने इस तरीके पर असहमति जताई. उनका कहना था कि समान नागरिक संहिता जैसे विषय पर जनता की राय केवल सीमित विकल्पों में दर्ज करने के बजाय सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर विस्तृत विचार सामने आने का अवसर मिलना चाहिए. विवाह, पारिवारिक कानून और लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवाद जैसे विषयों को लेकर लोगों के विचार समझने के लिए व्यापक प्रक्रिया जरूरी होने की बात उन्होंने रखी. दूसरा सवाल समिति की बैठक में एक ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर उठाया गया, जो पैनल का सदस्य नहीं था.

एक नजर में

लखीमपुर हिंसा केस में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त

लखीमपुर. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के पीठासीन अधिकारी के कामकाज पर रिपोर्ट मांगी. उन पर आरोप था कि उन्होंने एनडीपीएस और एससी/एसटी अत्याचार से जुड़े कई मामले खुद के पास ले लिए और आरोपियों को बरी कर दिया. चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वे दावों की जांच करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के बाद सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपें.

सीएम विजय ने 'कामराज नाश्ता योजना' का किया विस्तार

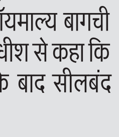

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने तिरुवान्मियूर के गांधी ग्रामम स्थित सरकारी मिडिल स्कूल (ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन मिडिल स्कूल) से 'पेरुंथलईवर कामराजार मुफ्त नाश्ता योजना' के विस्तार की औपचारिक शुरुआत कर दी है. योजना की शुरुआत करने के बाद विजय ने स्कूल के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खुद भी नाश्ता खाया. इस योजना के विस्तार के तहत अब प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) से आगे बढ़कर कक्षा 6 से 8 तक के मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को भी सुबह का मुफ्त भोजन दिया जाएगा. इस विस्तार से राज्य भर के 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 15.30 लाख अतिरिक्त छात्र लाभान्वित होंगे. टीवीके सरकार के सत्ता में आने के बाद इस कार्यक्रम का नाम बदलकर कामराज के नाम पर रखा गया था. अब इस नए विस्तार के बाद राज्य के कुल 44,984 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 34.64 लाख छात्र इस योजना के दायरे में आ जाएंगे.

यूपी में अखिलेश यादव का जेन-जी दांव

सपा ने शुरू किया पीडीए जागरूकता अभियान

छात्रों के फीडबैक से तैयार होगा घोषणा पत्र

नवभारत न्यूज़

लखनऊ, 22 सितंबर. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां अब कमर कसती नजर आ रही हैं. इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है.

देश के अलग-अलग राज्यों में हुए छात्रों के आंदोलन के बाद यह यूपी का पहला चुनाव होगा. ऐसे में 2027 में होने वाले चुनाव में इस बार सबकी निगाहें जेनजी पर टिकी हैं. भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी जैसे पार्टियां भी इस बात से भली-भांति परिचित है

और इसीलिए इन दलों ने जेन-जी को अपने पाले में लाने की कोशिश भी तेज कर दी है. हाल ही में सपा ने इस कड़ी में एक बड़ा अभियान शुरू किया है. विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने हाल ही में जेनजी जागरूकता अभियान शुरू किया है. कार्यक्रम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में चलेगा. विशेष अभियान की कमान समाजवादी छात्रसभा को दी गई है. अभियान की शरुआत हो गई है और यह 30 सितंबर तक चलेगा. प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के परिसरों में प्रमुखता से चलाया जाएगा. समाजवादी छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने बताया है कि छात्रसभा और युवा संगठनों के पदाधिकारी सीधे कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे. इस दौरान शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर छात्रों से सीधा फीडबैक जुटाकर पार्टी मुख्यालय भेजा जाएगा. इसके बाद इन सुझावों और शिकायतों का इस्तेमाल चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने में किया जाएगा. इसके अलावा सपा महिलाओं को साधने के लिए सालाना 40 हजार रुपये देने का वादा करने की तैयारी है.

राज्यसभा की 11 सीटों पर बजेगा चुनावी बिगुल

29 सितंबर से होगा नामांकन शुरू

16 अक्टूबर को होगा मतदान

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ, 22 सितंबर. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है.

इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल की एक रिक्त राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा. तीनों राज्यों में मतदान 16 अक्टूबर 2026 को होगा. उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो रहा है. प. बंगाल से राज्यसभा सदस्य रुक्मिणी मल्लिक के 16 जुलाई 2026 को इस्तीफा देने के बाद एक सीट रिक्त हुई थी. इस सीट का कार्यकाल 2 अप्रैल 2032 तक था. इसमें 8 सीटें बीजेपी, 1 सपा और 1 बसपा की हैं. सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और बसपा से रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रुक्मिणी मल्लिक ने 16 जुलाई 2026 को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी थीं. उन्हें फरवरी 2026 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अप्रैल 2026 में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी.

2.4 करोड़ का बीमा क्लेम सुको ने किया रद्द

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 22 सितंबर. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(एनसीडीआरसी) के न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फायर इंश्योरेंस क्लेम के रूप में 2.4 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश को रद कर दिया. शीर्ष अदालत ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा दावे को खारिज करने का फैसला पूरी तरह से उचित था.

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने बीमा कंपनी की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि बीमित कंपनी ने अपने दावों के समर्थन में झूठी जानकारियां दी थीं, जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है.यह मामला एक पेपर बोर्ड निर्माता कंपनी से जुड़ा है, जिसके पास एक ओपन यार्ड और तीन गोदाम थे. कंपनी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से दो फायर पॉलिसी ले रखी थीं. एक पॉलिसी स्टॉक के लिए 13 करोड़ रुपये और दूसरी इमारत, प्लांट और मशीनरी के लिए 14 करोड़ रुपये थी.मई 2007 में फैक्ट्री के अंदर वेस्ट पेपर यार्ड में आग लग गई, जिससे कच्चा माल और टिन शेड क्षतिग्रस्त हो गया. नुकसान के बाद कंपनी ने एनसीडीआरसी में 18% सालाना ब्याज के साथ लगभग 7.31 करोड़ रुपये के क्लेम का दावा किया था. क्लेम मिलने के बाद बीमा कंपनी ने एक सर्वेयर नियुक्त किया. सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह जानबूझकर लगाई गई आग और फर्जी नुकसान का मामला हो सकता है, इसलिए इसकी गहन जांच की आवश्यकता है. इसके बाद एक जांच एजेंसी को काम पर लगाया गया. अंतिम सर्वेयर ने वास्तविक नुकसान का आकलन मात्र 46,09,722 रुपये किया और बताया कि बीमाधारक ने ज्यादा क्लेम हासिल करने के लिए अपनी अकाउंट्स बुक में हेरफेर की है.

शर्त 6 का हुआ उल्लंघन

बीमा कंपनी ने पॉलिसी की शर्त 6 और 8 के उल्लंघन का हवाला देते हुए क्लेम को खारिज कर दिया था. इससे पहले, एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि आग लगने का कारण ज्ञात नहीं है, इसलिए बीमा कंपनी को आग का कारण या सत्यता साबित करने की जरूरत नहीं है.

हस्तियों के ट्वीट

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत-जापान क्रिकेट मैच को लेकर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने लिखा कि क्रिकेट को नई जगहों पर फलते-फूलते देखना बेहद खास है. भारत और जापान का मैच देखना शानदार रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि दर्शकों को प्रवेश के समय जानकारी वाली पर्चियां दी गईं, ताकि वे खेल को बेहतर ढंग से समझ सकें. उन्होंने कहा कि हम सभी ने कभी न कभी अपना पहला क्रिकेट मैच देखा है और यह देखकर अच्छा लगता है कि नए दर्शक भी इस खेल से जुड़ रहे हैं. सचिन ने जापान की टीम को चुनौती स्वीकार करने और शानदार टक्कर देने के लिए बधाई दी.

फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि मेटा के एआई प्लेटफॉर्म एमयूएसई पर शॉपिंग और चेकआउट को आसान बनाने के लिए शॉपफी के साथ काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से खरीदारों को अधिक विकल्प मिलेंगे और दुकानों को ज्यादा बिक्री करने में मदद मिलेगी. ज़करबर्ग ने यह भी बताया कि आने वाले समय में ऐसी और साझेदारियां देखने को मिलेंगी.

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी 55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032 टी.एन.

मांग नोटिस

फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्युरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और सिक्युरिटी इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट एक्ट, 2002 ("एक्ट") और सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("रूल्स") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिभूत ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना/सूचनाओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार चिपकाए जाने और प्रकाशित किए जाने से सूचना की तामील प्रभावित हो रही है। मांग सूचना/सूचनाओं की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत हैः-

स. क्र.	उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि एवं ओ/एस. राशि	संपत्ति / सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	ऋण खाता संख्या (एस).: LAP3JAB000240381 1. श्रीमान/श्रीमती। विमलेश साहू 2. श्रीमान/श्रीमती। बबिता साहू, क्रम सं.1 और 2 के लिए पताः- म. क्र.72 वार्ड क्र. 07 भगत सिंह वार्ड नं. शाहपुरा मनकेंडी जबलपुर मनकेंडी जबलपुर म.प्र.483119। क्रम सं.1 और 2 के लिए पता : ख.नं. 35/6, एन.बी. 75, पी.एच. क्र. 37/52,वार्ड क्र.7, भगत सिंह वार्ड, भिटोनी, शाहपुरा, जबलपुर, मप्र, 483119	रू. 20,00,000/-	17.09.2026 रू. 21,10,128/- (इक्कीस लाख दस हजार एक सौ अट्ठाईस मात्र) 17.09.2026	वह अचल संपत्ति का हिस्सा जो खसरा नंबर 35/6 का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है, और जो मौजा भिटोनी, N.B. 75, P.H. नंबर 37/52, भगत सिंह वार्ड, वार्ड नंबर 07, मुख्य सड़क शाहपुरा, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ (बिक्री विलेख के अनुसार): उत्तर - बालाजी कॉलोनी का घर, दक्षिण - जबलपुर-गोटेगाँव रोड, पूर्व - संतोष जायसवाल का प्लॉट, पश्चिम - प्रमोद साहू का घर। वास्तविक स्थल के अनुसार सीमाएँः उत्तरः ठाकुर का घर और अपनी जमीन, दक्षिणः जबलपुर-गोटेगाँव रोड, पूर्वः संतोष जायसवाल का प्लॉट, पश्चिमः प्रमोद साहू का घर।

उधारकर्ता(कों) को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि और इसके साथ ही इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान करें। उधारकर्ता(कों) को ध्यान देना चाहिए कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता(कों) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ता(कों) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति(यों) के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता(कों) निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का आह्वान करके और भुगतान प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को अटैच और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(कों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(कों) को सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेनदेन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः जबलपुर, मध्य प्रदेश
दिनांकः 17.09.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए